न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, जिला अजमेर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
01/2021	2021/5	07.01.2021	29.01.2021

उनवान

कैलाश पुत्र रामसिंह रावत व अन्य

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण कैलाश पुत्र रामसिंह, केसर देवी पुत्री रामसिंह, ग्यारसी देवी पुत्री रामसिंह, भोली देवी पत्नी रामसिंह, मांगीलाल पुत्र रामसिंह, शंकरसिंह पुत्र मंगला, पूनमसिंह पुत्र शंकरसिंह समस्त जाति रावत, जसविन्दरसिंह पुत्र अमरजीतसिंह, नवदीपसिंह छाबड़ा पुत्र अजीतसिंह जाति सिक्ख, स्वामी वासुदेवानन्दगिरी शिष्य महन्त श्री सेवानन्दगिरी जाति साधू द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 07.01.2021 के माध्यम से ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित खसरा नंबर 3120/642 रकबा 0.6704 हैक्टेयर में मौके अनुसार खसरा नं0 3120/642 रकबा 0.504 है0 सिवायचक रास्ते के एकतरफ तथा शेष रकबा 0.17 है0 रास्ते के दूसरी तरफ पूर्व दिशा में तरमीम करवाने बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार पुष्कर से प्रकरण की जॉच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र क्रमांक/तह.पु./भू.अ./2021/126 दिनांक 27.01.2021 पेश किया गया।

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि ग्राम गनाहेड़ा के मूल खसरा नम्बर 642 (सन् 2018) मौके पर तीन भागों में विभाजित है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में मूल खसरा नम्बर दो भागों में (खसरा नम्बर 3120/642 रकबा 0.6704 है0 एवं खसरा नम्बर 3121/642 रकबा 0.0896) में विभाजित है। मौका अनुसार खसरा नं. 3120/642 का [illegible] नये खसरों (1. रास्ते की पूर्वी दिशा में 2. रास्ते के पश्चिम दिशा) में तरमीम किया जाना [illegible] है। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार नया खसरा तरमीम करने से ना तो राजहित प्रभावित होता और ना ही सहखातेदारों का रकबा प्रभावित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.04.12 10:46:29 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 29/01/21

इसी क्रम में ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर अवस्थित खसरा नंबर 3120/642 रकबा 0.6704 हैक्टेयर के सभी सहखातेदारों ने प्रार्थना पत्र में संबंधित दुरूस्ती हेतु मूल खसरा नं0 642 को रिकॉर्ड अनुसार रकबे के साथ मौके अनुसार तरमीम करवाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की तथा किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया। नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र 500 रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर नंबर R 321041 दिनांक 29.01.2021 को मय नवीन जमाबंदी शामिल मिसल किया गया।

हमने उभयपक्षकारान के पक्ष को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई प्रार्थना पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्करके वर्तमान खसरा नंबर 3120/642 रकबा 0.6704 दर्ज है परंतु जवाब तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नं0 3120/642 का रकबा दो नये खसरों अर्थात् सिवायचक रास्ते {खसरा नं0 3121/642 रकबा 0.0896 है0} के दोनों तरफ (1.रास्ते की पूर्वी दिशा में 2. रास्ते के पश्चिम दिशा में) तरमीम किया जाना न्यायहित में उचित है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है। ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर के वर्तमान खसरा नं0 3120/642 रकबा 0.6704 है0 को मौके पर स्थिति के अनुसार सिवायचक रास्ता (गनाहेड़ा से मोतीसर पक्की डामर सड़क) {खसरा नं0 3121/642 रकबा 0.0896 है0} के एकतरफ रकबा 0.504 है. किस्म चाही 1 तथा सड़क मार्ग के दूसरी तरफ शेष रकबा 0.17 है. किस्म चाही 1 की तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते है। वर्तमान नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खसरा नं. 3120/642 के रकबे को प्रवर्तित कर 0.504 है. का अंकन तथा शेष रकबे 0.17 है. को नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम कर नया खसरा नंबर प्रदान किये जाये।

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

Rathore
29/01/21

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,पुष्कर
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.04.12 10:46:29 IST
Reason: SelfAttested